अर्द्ध0शा0 परिपत्र संख्याःडीजी- 48/2013

देवराज नागर,
आई.पी.एस.

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,
1–तिलक मार्ग, लखनऊ
दिनांकःलखनऊःअगस्त 19, 2013

विषय- अपराधियों के विरूद्ध दबिश एवं तलाशी तथा कैदियों के स्कोर्ट आदि के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों का पालन न किये जाने के फलस्वरूप अप्रिय घटनायें घटित होने के सम्बन्ध में ।

प्रिय महोदय,

मुख्यालय के **परिपत्र संख्या-33/2013 दि0 05.07.13** के माध्यम से मुख्य रूप से दबिश, वाहन व व्यक्ति की तलाशी, नाकाबन्दी व वाहन से पीछा कर अपराधियों को गिरफ्तार करने के प्रभावी तरीकों के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश दिये गये हैं। सी0ई0आर0(C.E.R.) के दौरान परिपत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर अभ्यास कराने तथा थानाध्यक्ष के पर्यवेक्षण में समस्त कर्मियों को रण-कौशल(Tactics)का प्रशिक्षण दिये जाने के निर्देश दिये गये थे। उक्त निर्देशों के बावजूद भी कतिपय जनपदों में गिरफ्तारी/चेकिंग/तलाशी/दबिश के दौरान अप्रिय घटनायें घटित हुई हैं, जिससे स्पष्ट है कि उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है।

इसी प्रकार **परिपत्र संख्या-39/2012 दि0 20.07.13** के माध्यम से जेल में निरूद्ध अपराधियों के स्कोर्ट के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश दिये गये हैं। उक्त परिपत्र में मुख्य रूप से पुलिस अधीक्षक द्वारा S.M.S. gate way के माध्यम से जेल से छूटने वाले सक्रिय अपराधियों की जानकारी अपने व सम्बन्धित अन्य जनपदों के थानाध्यक्षों, राजपत्रित अधिकारियों तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सूचित कराये जाने, अपराधी वाले पुलिस वाहन में सी.सी.टी.वी. कैमरा व D.V.R. की व्यवस्था, प्रत्येक जनपद में G.P.S. enabled smart phone क्रय किये जाने के निर्देश के साथ-साथ प्रतिसार निरीक्षक द्वारा स्कोर्ट पार्टी को भली-भाँति ब्रीफिंग करने आदि के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं।

2. परन्तु देखने में आ रहा है कि उपरोक्त निर्देशों का पूरी तरह से अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप अब भी पुलिस अभिरक्षा से कैदी फरार हो रहे हैं। जिससे अपराध नियंत्रण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तथा जनता में पुलिस के प्रति विपरीत संदेश जा रहा है। पुलिस अभिरक्षा से फरार अपराधी पुनः अपराध में सन्लिप्त हो रहे हैं।

3. आप सभी को निदेर्शित किया जाता है कि उक्त दोनों परिपत्रों में दिये गये निर्देशों के अनुसार पुलिस कर्मियों का प्रशिक्षण कराया जाय एवं उनकी नियमित रूप से ब्रीफिंग की जाय, जिससे कि उक्त घटनायें घटित न होने पायें। यदि भविष्य में उपरोक्त घटनायें घटित होंगी तो सम्बन्धित पुलिस प्रभारी को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माना जायेगा एवं उनके प्रति प्रतिकूल धारण बनायी जायेगी।

भवदीय,

(देवराज नागर) 19-8-13

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक(नाम से),
प्रभारी जनपद(नाम से)
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1.पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0 लखनऊ।
2. पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं,उ0प्र0 लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, सी0बी0सी0आई0डी0, उ0प्र0 लखनऊ।
4.पुलिस महानिरीक्षक, समस्त जोन, उ0प्र0।
5.पुलिस उपमहानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र, उ0प्र0।

20/8/13